

पंजाब राज्य और अन्य

बनाम

एम/एस छाबड़ा राइस मिल्स और अन्य

नवंबर 17,2005

(अरिजीत पासायत और तरुण चटर्जी, जे.जे.)

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948:

धारा 2(i)-खरीद कर- यदि बाजार शुल्क पर लगाया जा सकता है-बाजार शुल्क- बाजार समिति को भुगतान-क्षेत्र, बिक्री विचार के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है-बाजार शुल्क के तत्व पर खरीद कर का भुगतान करने के लिए कोई दायित्व नहीं था-पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961-कृषि उपज बाजार के तहत बनाए गए विपणन विनियम।

आनंद स्वरूप महेश कुमार बनाम सी.एस.टी.,(1980) 4 एस.सी.सी. 451 और डी. पंजाब राज्य और अन्य बनाम गुरनडिहा मल शौती प्रकाश और अन्य., (2004)5 एस.सी.सी. 791, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलिय न्याय निर्णयः

सिविल अपील सं. 14817/1996

1993 के सी.डब्ल्यू.पी. सं. 8806 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 8.9.1994 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से अरुण के. सिन्हा, राकेश सिंह और मुकेश के. सिन्हा।

उत्तरदाताओं के लिए के.के. गुप्ता (एन.पी.) और सुश्री जसप्रीत गोगिया (एन.पी.) न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

अरिजीत पासायत, जे. इस अपील में विचार के लिए उठाया गया एकमात्र सवाल यह है कि क्या खरीद कर इस आधार पर बाजार शुल्क के तत्व पर लगाया जा सकता है कि यह कारोबार का हिस्सा नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट की याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और यह अपील विशेष अनुमति द्वारा दायर की गई है।

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत "कारोबार" को धारा 2(i) में शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है:

"दी गई अवधि के दौरान किसी भी विक्रेता द्वारा वास्तव में की गई बिक्री और खरीद और बिक्री के कुछ हिस्सों और खरीद की कुल राशि, सामान्य व्यापार प्रथा के अनुसार नकद छूट और व्यापार छूट के रूप में अनुमत किसी भी राशि को कम करती है, लेकिन इसमें माल की डिलीवरी के समय या उससे पहले व्यापारी द्वारा दान की गई किसी भी चीज़ के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल है।

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "बाजार अधिनियम") के तहत विपणन विनियम, के संदर्भ में इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय ने देखा कि वर्तमान मामलों में कर की घटना तब होती है जब कारोबार कर योग्य मात्रा से अधिक हो जाता है, खरीदार को बाजार शुल्क का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता बाजार क्षेत्र के भीतर लाइसेंसधारी होते हैं; कि उनके द्वारा विक्रेताओं को ऐसा टी बाजार शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है; इसलिए, बाजार

शुल्क की ऐसी राशि बिक्री विचार का हिस्सा नहीं हो सकती है; कि रिट याचिकाकर्ताओं को अपने कारोबार में उनके द्वारा स्थानीय रूप से खरीदी गई कृषि उपज के खरीद मूल्य के हिस्से के रूप में बाजार शुल्क की राशि दिखाने की आवश्यकता नहीं थी; कि ऐसा बाजार शुल्क मूल्यांकन के लिए कारोबार का हिस्सा नहीं है

यह आनंद स्वरूप महेश कुमार बनाम सी.एस.टी., (1980) 4 एस.सी.सी. 451 वाले मामले में इस न्यायालय के पास इस बात पर विचार करने का अवसर था कि क्या यू.पी. कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (संक्षेप में "यू.पी. अधिनियम") की धारा 3-डी (1) में उल्लिखित खरीद पर लगाए गए कुछ विक्रेताओं पर अतिरिक्त कर को कमीशन एजेंट द्वारा खरीद से एकत्र किया जा सकता है। इस न्यायालय ने समझाया कि ऐसी चार परिस्थितियाँ हैं जिनमें कारोबार शामिल हो सकता है और वे हैं (i) यदि उत्पाद एक कमीशन एजेंट के माध्यम से बेचा जाता है, तो कमीशन एजेंट खरीदार से बाजार शुल्क का एहसास कर सकता है और उसी का भुगतान समिति को करने के लिए उत्तरदायी होगा; (ii) यदि उत्पाद सीधे किसी व्यापारी द्वारा उत्पादक से खरीदा जाता है तो व्यापारी समिति को 1 बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए

उत्तरदायी होगा; (iii) यदि उत्पाद किसी अन्य व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यापारी से खरीदा जाता है, तो उत्पाद बेचने वाला व्यापारी खरीदार से इसे प्राप्त कर सकता है और समिति को बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और (iv) ऐसी उपज की बिक्री के किसी अन्य मामले में, खरीदार समिति को बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

किन परिस्थितियों में, बाजार शुल्क का भुगतान किया जाना है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है और एक बार यह माना जाता है कि खरीदार का बाजार शुल्क का भुगतान करने का दायित्व है और यह विक्रेता का कर्तव्य है कि वह खरीदार की ओर से बाजार शुल्क जमा करे और इसलिए, इसे खरीदार से वसूल करने के लिए, इस तरह के लेनदेन पर बाजार शुल्क का भुगतान करना विक्रेता का कानूनी दायित्व नहीं है और इस प्रकार बाजार शुल्क की राशि को बिक्री विचार के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है।

वर्तमान मामले में प्रचलित कानून के अनुसार इसी तरह की स्थिति है।

उपरोक्त स्थिति की जांच इस न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य और अन्य बनाम गुरनडिवा मल शौती प्रकाश और अन्य, (2004) 5 एस.सी.सी. 791 और आनंद स्वरूप के मामलों में की गई थी। मामले (सुप्रा) में निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि विक्रेता की ओर से बाजार शुल्क का भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि उसी का भुगतान करना खरीदार का शुल्क है और विक्रेता इसे खरीदार से प्राप्त कर सकता है। इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि बाजार शुल्क के तत्व पर बिक्री कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था।

स्थिति से ऊपर होने पर, अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

आर.पी.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।